[Shri P. Rajgopal Naidu]

facing problems regarding selling the surplus stocks of paddy with them.

Now the Central Government and the Punjab government should come to an understanding between them- of paddy in the state. If it is not done, selves in purchasing all the surpluses soon, there will be frustration among the agriculturists and there will be a set-back to the increased production of paddy.

Meanwhile the government should explore the posibilities of exporting rise, especially finer varieties of rice in larger quantities so as to help the agriculturists.

(x) NEED TO PROTECT THE SAMADHI OF LATE RAJA MAHENDRA PRATAP, A FREEDOM FIGHTER

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 277 के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

"देश के महान क्रांतिकारी देशभक्त व त्यागी नेता स्व० राजा महेन्द्र प्रताप जिन्होंने अपनी रियासत के एक भाग का दान कर के प्रेम महाविद्यालय, जो दस्तकारी के साथ पढ़ाई कराने वाला प्रथम विद्यालय था, की स्थापना की । देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाले क्रांतिकारी नेता राजा साहब को अंग्रेजी सरकार ने विद्रोही घोषित करके 32 वर्ष तक अपने देश में नहीं आने दिया । दान के बाद बची हुई उन की समस्त रियासत को जब्त कर लिया और वह जब्त की हुई रियासत देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी वापस नहीं मिली । विदेशों में रह कर 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय देश की स्वतन्त्र सरकार की काबुल में स्थापना की । अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । उस सरकार को अन्य कई देशों की सरकारों ने मान्यता दी । स्वर्गवासी होने से पूर्व अपने परिवार के स्थान पर प्रेम महाविद्यालय के लिये बची हुई सम्पत्ति की वसीयत की ।

उन की इच्छा के अनुसार यमुना के किनारे प्रेम महाविद्यालय के सामने राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना की बालू में समाविष्ट किया गया । प्रदेश के प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उन का स्मारक बनाने का आश्वासन दिया था ।

केन्द्रीय सरकार के आवास मंत्री ने 8 जुलाई, 1980 को अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सरकार के सम्मुख राजा साहब के स्मारक का विषय विचाराधीन नहीं है ।

देश के महान देशभक्त, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, असाधारण त्यागी नेता राजा महेन्द्र प्रताप, जिन्होंने समस्त देशों की एक सरकार संसार संघ बनाने की विचारधारा रखी, सब धर्मों के विचारों को लेकर प्रेम धर्म की स्थापना की, जिन को देश की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जहां स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र व पेंशन दे कर सम्मानित करके प्रशंसनीय कार्य किया था वहां सर्वप्रथम ताम्रपत्र राजा महेन्द्र प्रताप को देकर और उन्हीं के सभापतित्व में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके विशेष प्रशंसनीय कार्य किया था । वे ही देश की स्वतंत्रता सेनानियों की समिति के सभापति थे । आज यमुना के किनारे बालू में बनी उनकी समाधि यमुना की बाढ़ के कारण खतरे की स्थिति में पहुंच गई है । कभी भी उनकी समाधि उनके पार्थिव शरीर के साथ यमुना में बह सकती है । यदि ऐसा

हुआ तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगी ।

माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी, जिनके दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान है, जिसका प्रमाण लोक सभा के इसी सत्र में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर और उसे सम्माननीय बना कर एक प्रशंसनीय कार्य किया है, से निवेदन है कि इस असाधारण महत्व के कार्य में उन की समाधि की रक्षा के लिये व्यवस्था करने की कृपा करें । इस समाधि की रक्षा किया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को मैं सदन, सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी की जानकारी के लिए रख रहा हूं ।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: Certain things which have been read by you have not been approved by the Speaker. Only those things which have been approved by the Speaker will go on record. This is for your information.

14.52 hrs.

DOCK WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को मैंने अपनी बात शुरू की थी और अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था ।

मैं एक बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डाक वर्कर्स रेगूलेशन आफ एम्पलायमेंट एक्ट, 1948 है, यह बहुत पुराना पड़ गया है । इसलिए इसके जितने भी सेक्शन्स हैं, उन के जरिये से अगर इस सारे वर्क को रेगूलेट करें, तो निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयां इस सम्बन्ध में उपस्थित हो सकती हैं । इसलिए मैं बहुत सारे सेक्शन्स के सम्बन्ध में अपने विचार आप के सामने रखना चाहता हूं । इन सारे सेक्शन्स में कुछ तरमीम होनी चाहिए जिस से डाक में जो कामगार काम करते हैं, उन को सारी सुविधाएं मिल सकें । मैंने उस दिन आप से निवेदन किया था कि डाक्स के अन्दर जो वर्कर्स काम करते हैं, उन को रेगूलर करने के लिए परमानेन्ट और टेम्पोरेरी की व्यवस्था की बात इस में कही गई है मगर डाक्स में और भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, जिन के बारे में इस में कोई व्यवस्था नहीं की गई है जैसे आप के केजुअल वर्कर्स हैं, जो वहां काम करते हैं या और भी तरह के वर्कर्स हैं जो रेगुलर या परमानेन्ट एम्पलाइज के स्थान पर काम करते हैं । वे उन के स्थान पर काम करते हैं और वे आल्टरनेट रूप से काम करते हैं, जिन को कुछ स्थानों पर बदली के वर्कर्स के नाम से पुकारा जाता है । इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो एप्रेन्टिस के तौर पर डाक्स में काम करते हैं । ऐसे लोगों के लिए किसी प्रकार का प्रविधान इस नये एमेंडमेंट बिल में नहीं किया गया है या इस एक्ट में नहीं है । केवल इस प्रकार की बात इस में रखी गई है कि कोई एक्ट या बिल जब बनायेंगे, तो पार्लियामेंट के सामने रखेंगे । इस तरह से डाक वर्कर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा । इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से इस बिल के